न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु०नं० 11/18 तारीखरजू 8-3-18

उनवान - सतीशचन्द बनाम ओमप्रकाश वगै० गोरखं

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 के तहत पेश किया। प्रस्तुत जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना साबित होता है। अतः अप्रार्थीगणो को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बरोज की भूमि ख.नं. 544 रकबा 1.02 हे०, 545 रकबा 0.04 हे० मय कुआ, 546 रकबा 1.56 हे कुल किता 3 कुल रकबा 2.62 हे० की आगामी तिथि तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस से तलब कर दिनांक 26.5.18 को पेश हो।

755-59
8-3-18

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

26.5.18

प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1 ता 4 की ओर से श्री सुरेशचन्द शर्मा Adv. ने मीमो पेश किया। वकालतनामा आगामी पेशी पर पेश करने का कथन किया। अप्रार्थी नं. 5 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी नं. 6 बावजूद इत्तला उपस्थित नहीं। P.O. सा० करौली के पत्र के पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प परमपुरा में दि० 28.6.18 को पेश हो।

महेश चन्द ...
नि० कपूरी

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

3.5.19 वकुलाय प्र० / जवाब पेश करने दिनांक 2.7.19 को पेश हो।

2.7.19
वकुलाय उप०/ अप्रार्थी नं. 1 ता 5 का वकालतनामा व जवाब पेश किया / जवाब की प्रति प्रार्थी वकील ने प्राप्त की / वास्ते बहस दिनांक 7.8.19 को पेश हो।

7.8.19
वकुलाय अनुपस्थित/पीठासन अधिकारी ट्रेनिंग में पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 6.9.19 को पेश हो।

6.9.19
वकुलाय अनुपस्थित/पीठासन अधिकारी दौरे पर पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 23.9.19 को पेश हो।

23/9/19 वकुलाय अनुपस्थित/पीठासन अधिकारी कचेडी पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 16-10-19 को पेश हो।

16-10-19 वकुलाय अनुपस्थित/पीठासन अधिकारी व्यवस्थापत है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 14-11-19 को पेश हो।

14.11.19
वकुलाय उप०/ बहस हेतु समय चाहा / समय दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 10.12.19 को पेश हो।

10.12.19
वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई / बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया / दिनांक 8.3.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावा के निस्तारण होने तक उचित पाने से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तादावा फैसला कन्फर्म किया जाता है ग्राम बैरोज की भूमि ख.नं. 544/1.02, 545/0.04 546/1.56 पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए गैरसायलान को पाबंद किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ सलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.02 12:52:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: